टी०ए० मिस केस सं० 81/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्यु
11/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **श्री मंगल सिंह तियु, पिता– स्व० सिरका तियु**, ग्राम–**डिलियामार्चा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **डिलियामार्चा**, थाना नं०– **108**, खाता नं०– 41, प्लॉट नं०– 2237 **रकवा– 0.06 एकड़** भूमि क्रेता **विनिता कुई, पति– स्व० शंकर लाल बानरा**, ग्राम– **बडामौदी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के द्वारा नामान्तरण मुकदमा सं०–490/2019–20 के द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1105, दिनांक– 07.11.2020 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं हल बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **विनिता कुई, पति– स्व० शंकर लाल बानरा**, ग्राम– **बडामौदी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री मंगल सिंह तियु, पिता– स्व० सिरका तियु**, ग्राम– **डिलियामार्चा**, थाना– **मुफ्फसिल**, क्रेता **विनिता कुई, पति– स्व० शंकर लाल बानरा**, ग्राम– **बडामौदी**, थाना–**मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **4,00,000.00/–(चार लाख रुपये)** में मौजा– **डिलियामार्चा**, थाना नं०– **108**, खाता नं०– 41, प्लॉट नं०– 2237 **रकवा– 0.06** एकड **भूमि** को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	